न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 70 / 2021

रामनिवास पुत्र जवाहर सिंह जाति ठाकुर गांव पोस्ट चैकोरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर ।

बनाम

जिला रसद अधिकारी भरतपुर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

दिनांक 30.09.2021

आदेश

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रामनिवास पुत्र जवाहर सिंह जाति ठाकुर गांव पोस्ट चैकोरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 09.07.2021 जिला रसद अधिकारी भरतपुर से सूचना चाही गई थी। जिला रसद अधिकारी भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 577 दिनांक 08.09.2021 के द्वारा जिला रसद अधिकारी भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने वावत रिपोर्ट तलव की गई। इस संबध जिला रसद अधिकारी भरतपुर से उनके पत्र कमांक / 75 दिनांक 30.09.2021 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई बिन्दु संख्या 4, 6 व 7 की सूचनाऐं जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने जिला रसद अधिकारी भरतपुर से सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर से प्राप्त जवाब पत्र कमांक 75 दिनांक 30.09.2021 का अवलोकन किया गया। जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने अपने जबाब पेश करते हुये अपीलार्थी को भी पत्र कमांक 73 दिनांक 30.09.2021 की प्रति भी भिजवाई गई है। रेस्पो. ने अपीलांट को वांछित सूचनाऐं उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (जिला रसद अधिकारी भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भरतपुर को भी भेजी जावे।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर